

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 06, शुक्रवार, शके 1947- जून 27, 2025 Asadha 06, Friday, Saka 1947- June 27, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 20, 2025

संख्या प.2(8)वन/2025 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपत्ति है या उनमें सरकार के स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि, सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार एवं प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार एवं प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्ति करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद् द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बीजो जाँय,
विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड/चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				सीमा	विवि
					नाम ग्राम/चक	ख न./मु.न. मय किला नम्बर	किला नम्बर	रकबा (है0 में)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	2 केएसएम	बज्जू	बीकानेर	24.7469 है0	2 केएसएम	24/26	5	0.2529	उत्तर - काश्तका र मु. न. 24/33, 41,49	मु.न.24 /33 के किला न.21 में खाला है।
							6	0.2529	दक्षिण:- काश्त कार मु. न. 24/35, 36,43	मु.न.24 /34 के किला न.1,10, 11,20, 21 में खाला

										है।
							7	0.2529	पूर्व:- का?त कार मु. न.24/4 9,50	मु.न.24 /34,42 के किला न. 21,22, 23,24, 25 में रास्ता है।
							14	0.2529	पश्चिम: - काश्तका र मु. न.24/2 6,27	मु.न.24 /26 के किला न.25 में रास्ता है।
							15	0.2529		मु.न.24 /49 के किला न.11,2 0,21 में खाला है।
							16	0.2529		मु.न. .24/35 के किला न. 1 में खाला है।
							17	0.2529		
							25/1	0.2150		
						योग		1.9853		
						24/33	19	0.2529		
							21/1	0.2150		
							22	0.2529		

							23	0.2529		
							24	0.2529		
							25	0.2529		
						योग		1.4795		
						24/34	1/2	0.2150		
							2	0.2529		
							3	0.2529		
							4	0.2529		
							5	0.2529		
							6	0.2529		
							7	0.2529		
							8	0.2529		
							9	0.2529		
							10/1	0.2150		
							11/1	0.2150		
							12	0.2529		
							13	0.2529		
							14	0.2529		
							15	0.2529		
							16	0.2529		
							17	0.2529		
							18	0.2529		
							19	0.2529		
							20/1	0.2150		
							21/1	0.1770		
							22/2	0.2150		
							23/2	0.2150		
							24/1	0.2150		
							25/2	0.2150		
						योग		5.9434		

						24/35	1/2	0.2150		
							2	0.2529		
							3	0.2529		
							4	0.2529		
							5	0.2529		
							6	0.2529		
							7	0.2529		
							8	0.2529		
							9	0.2529		
							13	0.2529		
							14	0.2529		
							15	0.2529		
							16	0.2529		
							17	0.2529		
							18	0.2529		
							24	0.2529		
							25	0.2529		
						योग		4.2614		
						24/36	4	0.2529		
						योग		0.2529		
						24/41	16	0.2529		
							21	0.2529		
							22	0.2529		
							23	0.2529		
							24	0.2529		
							25	0.2529		
						योग		1.5174		
						24/42	1	0.2529		
							2	0.2529		
							3	0.2529		

							4	0.2529		
							5	0.2529		
							6	0.2529		
							7	0.2529		
							8	0.2529		
							9	0.2529		
							10	0.2529		
							11	0.2529		
							12	0.2529		
							13	0.2529		
							14	0.2529		
							15	0.2529		
							16	0.2529		
							17	0.2529		
							18	0.2529		
							19	0.2529		
							20	0.2529		
							21/1	0.2150		
							22/1	0.2150		
							23/2	0.2150		
							24/1	0.2150		
							25/1	0.2150		
							योग		6.133	
						24/49	2	0.2529		
							3	0.2529		
							8	0.2529		
							9	0.2529		
							11/2	0.2150		
							12	0.2529		
							17	0.2529		

							18	0.2529		
							19	0.2529		
							20/1	0.2150		
							21/1	0.2150		
							22	0.2529		
							23	0.2529		
							योग	3.174		
वन खण्ड 2KMS का महायोग =								24.7469	है०	

रूपम सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A. juss	नीम
2	Acacia arubica Willd	बबूल
3	Acacia jacquemontil	बोवली
4	Aerua tomentosa	बुई
5	Cordia Myxa, Linn	लसोड़ा
6	Cordia rothi	गूंदी
7	Calligonum polygonoiudes	फोग
8	Calotropis procera R.Sr	आक
9	Cassia fistula, Linn	अमलतास
10	Capparis decidna	केर
11	Cenchrus ciliaris	धामण घास
12	Dalbergia sissoo, Roxb	शीशम
13	Encalyptus spp	सफेदा
14	Ficus religiosa, Linn	पीपल
15	Ficus bengalensis Linn	बड़
16	Lasiuress indicus	सेवान घास

17	Leptadeniam Reticulatum Wight & Ar	खीप
18	Morus alba, Linn	शहतूत
19	Ricinus communis	अरण्ड
20	Prosopis spicigera	खेजड़ा
21	Prosopis cineraria	खेजड़ी
22	Prosopis juliflora	विलायती खेजड़ा
23	Salvadora oligoides	पीलू
24	Salvadora persica	जाल
25	Saccharum munja	मुंजा घास
26	Acacia Tortalis	इजराइल बबूल
27	Tecomella undulata	रोहिड़ा
28	Zizyphus jujuba Lam	बेर
29	Zizyphus xylopyra Willd	घोट
30	Zizyphus nummularia	झड़ बेर
31	Haloxylon salicornicum	लाणा

रूपम सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

परिशिष्ट (क)

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण- पत्र
(जो लागू नहीं होता है उस काट दे)

नाम वनखण्ड/चक :- 2KSM

रेंज- इकाई चतुर्थ 29 आरडी भूरासर

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर।

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में Climate change SDS का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।

3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में Climate change SDS वृक्षारोपण का कार्य 2022-23, करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 72 प्रतिशत है इन वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बैर, खेजड़ी, टोर्टलिस का लगभग 72 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 मे कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वांछित मानत्रित (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

रूपम सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।